प्रकरण सं0 .....अनवान.....

**Continuation Note Sheet**

7-5-18 न्याय आपके द्वारा 2018 के अन्तर्गत आयोजित शिविर मे पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि प्रकरण मे वर्णित भूमि पर बैंक लोन होने के कारण निर्णय की पालना नही हो सकती विवादित आराजी पर बैंकलोन होने के कारण पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

नकीरा
उक्त भूमि पर बैंक द्वारा ऋण लिया गया है जो अभी बकाया है। अतः निर्णय पालना नहीं हो सकती।
नायब तहसीलदार